

२१-५-१८

पद्मावली राजस्व लोक अदालत अभियान
द्वारा आपके द्वार-२०१८ में अदालत सेवा
केन्द्र आर्कोदा पेश हुई। नवीलवादी

आज्ञा विस्तृत रूप से

उपास्थित है। लोक अदालत की भावना से
पञ्जाबली का अवलोकन किया जो वास्तु
अनिर्वागाद भूमि है जिस पर खाले घरी
साधिका नही है जा सकली है। अलः वादी
आवाद खारेज किया गया। पञ्जाबली कसल
शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम है। अदेश
मजमें आम में सुनाया गया। ५०

सुपखण्ड अधिकारी
सांयलक